

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 480 / 2013
संस्थित दिनांक-30.08.2013

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रू द्ध

हितेश पिता नंदकिशोर पाटीदार,
आयु-33 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी-ग्राम दवाना, तहसील
ठीकरी, जिला बड़वानीअभियुक्त

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 30 / 03 / 2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 162 / 13 के आधार पर दिनांक 21.07.13 को रात्रि लगभग 09:30 बजे ठीकरी बड़वानी रोड़ ग्राम घटवा शुगर मिल के पास वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 एन.एस. 3487 को लोकमार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक जवानसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो 'आपराधिक मानव वध' की श्रेणी में नहीं आती है, भा.द.वि. की धारा-304(ए) का अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.13 को फरियादी मानसिंग को रात्रि 10:00 बजे फोन पर सूचना मिली थी कि उसका भाई जवानसिंह मोटरसायकल से अपने साडूभाई निरंजन चौहान के साथ बाहर गया था और उसकी घटवां शुगर मिल के पास दुर्घटना हो गयी है तो मानसिंग घटनास्थल पर गया था, उसने देखा था कि जवानसिंह रोड़ पर पड़ा था और जवानसिंह की मृत्यु हो गयी थी । मानसिंग ने इस घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर दर्ज करायी, जहां पर देहाती नालिसी प्र.पी.3 की दर्ज की गयी और जांच उपरांत अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 162 / 13 अंतर्गत धारा-304(ए) भा.द.वि. का दर्ज कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये । मृतक की लाश का पंचनामा बनाया गया । मृतक के शव का परीक्षण कराया गया तथा अभियुक्त से उसकी मोटरसायकल जप्त कर उसे

गिरफ्तार किया गया एवं अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर भा. द.सं. की धारा-304(ए) का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने दिनांक 21.07.13 को रात्रि 09:30 बजे स्थान ठीकरी बड़वानी रोड़, ग्राम घटवां शुगर मिल के पास लोकमार्ग पर वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 एन.एस.3487 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक जवानसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?
2	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षीगण सुखलाल (अ.सा.1), मानसिंग (अ.सा.2), निरंजन चौहान (अ.सा.3), नारायण (अ.सा.4), डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.5), अशोक कुमार वर्मा (अ.सा.6), स.उ.नि. ओमप्रकाश यादव (अ.सा.7), शकील (अ.सा.8), सचिन पाटीदार (अ.सा.9), स.उ.नि. आशीष पंडित (अ.सा.10) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी मानसिंग (अ.सा.2) का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है । मृतक जवानसिंह उसका भाई था। एक वर्ष पूर्व रात्रि 09:30 बजहे वह अपने घर पर था, उसे टेलीफोन पर दुर्घटना के संबंध में सूचना मिली थी, तब वह तथा अन्य व्यक्ति घटवां शुगर मिल के सामने गये थे, वहां पर जवानसिंह मृत अवस्था में पड़ा था तथा उसकी मोटरसायकल वहीं पड़ी थी। पुलिस ने घटनास्थल पर देहाती नालिसी प्र.पी.3 की बनायी थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था, जिसका नक्शामौका प्र.पी. 4 का है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 बी.सी. 8832 का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.5 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने मृतक जवानसिंह की लाश का सफीना फार्म एवं लाश पंचायतनामा प्र.पी.1 एवं प्र.पी.2 का बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके हस्ताक्षर थाने पर कराये थे और पुलिस ने उसे प्र.पी.3 की देहाती नालिसी पढ़कर नहीं बतायी थी ।

8. साक्षी सुखलाल (अ.सा.1), निरंजन चौहान (अ.सा.2) तथा नारायण (अ.सा.4) ने भी जवानसिंह की दुर्घटना की सूचना टेलीफोन पर प्राप्त होने तथा घटनास्थल पर जाने के संबंध में कथन किये हैं । उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि वहां पर जवानसिंह मृत अवस्था में पड़ा था और उसकी मोटरसायकल भी पड़ी थी । साक्षी सुखलाल (अ.सा.1) ने सफीना-फार्म प्र.पी.1 एवं नक्शा पंचायतनामा शव प्र. पी.2 ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं ।

9. साक्षी शकील (अ.सा.9) का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है । लगभग दो से ढाई वर्ष पूर्व वह इंदौर से दवाना क्रिकेट खेलने के लिये वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 एन.एस. 3487 से आया था । वह क्रिकेट खेल रहा था और वहां से कोई व्यक्ति उसी मोटरसायकल मांगकर किसी कार्य हेतु ले गया था, उस व्यक्ति को वह नहीं जानता था, उसके एक-दो दिन बाद पुलिस थाना ठीकरी के कुछ पुलिसकर्मियों ने आकर उसे बताया था कि उसकी मोटरसायकल से दुर्घटना हो गयी है । पुलिस उसकी मोटरसायकल को ठीकरी ले आई थी । उसने मोटरसायकल को सुपुर्दगीनामा न्यायालय से प्राप्त किया है । साक्षी ने प्र.पी.10 के शपथ-पत्र पर ए से ए, बी से बी एवं सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं । साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित किये जाने पर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्त उसका मित्र है । साक्षी ने अपने पुलिस कथन में यह बात बताने से इन्कार किया है कि घटना वाले दिन हितेश उसकी मोटरसायकल मांगकर ले गया था और उसकी मोटरसायकल से दुर्घटना हो गयी थी । साक्षी ने प्र.पी. 10 का शपथ-पत्र पुलिस द्वारा दबाव देकर बनाना बताया गया है ।

10. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्र.पी.10 का शपथ-पत्र पूर्व से ही तैयार था, उसने केवल हस्ताक्षर किये थे । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसकी मोटरसायकल कौन चला रहा था, इसकी उसे जानकारी नहीं है ।

11. साक्षी अशोक कुमार वर्मा (अ.सा.6) ने दिनांक 29.08.13 को पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्र. 162/13 में जप्त मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 एन.एस. 3487 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उक्त वाहन में कोई यांत्रिकीय त्रुटि नहीं होना बताया है और साक्षी ने उसके परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.7 को भी प्रमाणित किया है ।

12. साक्षी सचिन पाटीदार (अ.सा.10) ने अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं किया है । साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि दिनांक 21.07.13 को रात्रि 9 बजे वह अपनी मोटरसायकल से कुआँ से ठीकरी जा रहा था, तभी घटवां शुगर मिल के पास उसके पीछे से अभियुक्त अपनी मोटरसायकल को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लेकर गया था और सामने से आ रही मोटरसायकल के चालक को उसने टक्कर मार दी थी । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है टक्कर लगने से अभियुक्त और टक्कर लगने वाला व्यक्ति दोनों गिर गये थे । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने अभियुक्त को घटनास्थल पर पकड़ने की कोशिश की थी, किंतु अभियुक्त भाग गया था । यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.11 का कथन देने से भी इन्कार किया है ।

13. साक्षी स.उ.नि. ओमप्रकाश यादव (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 22.07.13 को उसने थाना ठीकरी के ग्राम घटवा पहुँचकर मानसिंग की निशांदेही से प्र.पी.4 का नक्शामौका बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि उसने मृतक जवानसिंह की लाश का पंचनामा प्र.पी.2 बनाया था, सफीना-फार्म प्र.पी.1 का जारी किया था, प्र.पी.1 एवं प्र.पी.2 पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त के पेश करने पर मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 एन.एस. 3487 को दस्तावेजों सहित एवं उसकी चालक अनुज्ञप्ति सहित अभियुक्त से प्र.पी.8 से जप्त किया था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.3 की देहाती नालिसी में किस वाहन से दुर्घटना हुई, इसका उल्लेख नहीं है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मानसिंग ने देहाती नालिसी में वाहन का नंबर एवं अभियुक्त का नाम नहीं बताया था । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी वाहन का नंबर एवं चालक का नाम नहीं है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह घटनास्थल पर गया था, तब मृतक जवानसिंह की मोटरसायकल के अलावा अन्य कोई वाहन वहां नहीं था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि मृतक की उसकी मोटरसायकल से गिरकर मृत्यु हो गयी थी ।

14. साक्षी डॉ. आर.एस. मुजाल्दा (अ.सा.5) का कथन है कि दिनांक 22.07.13 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आरक्षक देवेन्द्र द्वारा लाने पर मृतक जवानसिंह पिता बादाम आयु-38 वर्ष निवासी काकरिया के शव का परीक्षण किया था और उसकी मृत्यु शरीर के कोमल अंग ब्रेन, लीवर, फेफड़े में आई चोटों के कारण हुई थी, जो परीक्षण के 18 घंटे के भीतर की थी । साक्षी ने शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्र. पी.6 को भी प्रमाणित किया है ।

15. साक्षी अशीष पंडित (अ.सा.10) का कथन है कि दिनांक 21.07.13 को उसने थाना ठीकरी में स.उ.नि. ओमप्रकाश यादव द्वारा प्र.पी.3 की देहाती नालिसी थाने पर पेश करने पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 162/13 प्र.पी.10 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का कथन है कि उसने जवानसिंह की मृत्यु के संबंध में मर्ग क्र. 41/08 प्र.पी.11 का दर्ज किया था ।

16. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त मोटरसायकल क्रमांक एम. पी.09 एन.एस. 3487 या अन्य कोई वाहन तेज गति या लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी टक्कर मृतक जवानसिंह को मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है । यहां तक कि देहाती नालिसी प्र.पी.3 एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.10 में भी अभियुक्त का नाम या उक्त मोटरसायकल के क्रमांक का उल्लेख नहीं है, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 एन.एस. 3487 को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक जवानसिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो 'आपराधिक मानव वध' की श्रेणी में नहीं आती है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

17. इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त हितेश के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त हितेश पिता नंदकिशोर पाटीदार, आयु-33 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम दवाना, तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.वि. की धारा-304(ए) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

18. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

19. प्रकरण में जप्त वाहन मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.09 एन.एस. 3487 पूर्व से सुपुर्दगी पर है, बाद अपील अवधि सुपुर्दगीनामा निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

20. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.